कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः—एफ 3/लेखा/17—18/5212-32 दिनांक : 23/08/17

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या : 32/17—18

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अनुभवी व्यक्तियों/सवेंदकों से मोहरबंद (ऑफलाईन) पद्धति से कुल 01 कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **https://sppp.rajasthan.gov.in, http://urban.rajasthan.gov.in** एवं नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाईट **https://www.uitkota.org** पर देखा जा सकता है।

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :—

निविदा की क्र0सं0	ऑफलाईन निविदा विक्रय तिथि	ऑफलाईन निविदा प्राप्ति की तिथि	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि
1	24-08-17 प्रातः 9.30 से 04-09-17 दोपहर 2.00 बजे तक	06-09-17 को दोपहर 2.00 बजे	06-09-17 को दोपहर 3.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच एजेन्सी के माध्यम से करवाने का कार्य	1.00	200.00	7 दिवस	आवास

नोटः—

1. **निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण https:// sppp.rajasthan.gov.in एवं http://urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।**
2. सभी संवेदकों को धरोहर राशि डी0डी0 अथवा नकद राशि चालान के माध्यम से ओ0बी0सी0 बैंक, न्यास परिसर, कोटा में जमा करानी होगी। चालान द्वारा राशि जमा कराने के स्थिति में संवेदक को चालान की तृतीय प्रति कनिष्ठ लेखाकार को देने पर ही टेण्डर कॉपी दी जायेगी। एक चालान एक निविदा (एक कार्य) के लिए ही मान्य होगा।
3. उक्त निविदा न्यास की वेबसाईट www.uitkota.org पर भी देखी जा सकती है।
4. प्रथम तीन न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि को रोकते हुए शेष सभी संवेदकों को धरोहर राशि सात दिवस के अंदर लौटाई जावेगी तथा द्वितीय व तृतीय न्यूनतम दरदाता संवेदकों की धरोहर राशि कार्यादेश जारी होने के 10 दिवस पश्चात या निविदा वैधता तिथि पश्चात् (दोनो में से जो भी पहले हो) लौटाई जायेगी।
5. राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम–2009 के सम्बन्ध मे जारी अधिसूचना दिनांक 30.4.09 के अनुसरण मे न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अंतिम बिलों के भुगतान पर **1%** श्रम उपकर **(L. Cess)** भी देय होगा।
6. निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बी.एस.आर., जिस पर निविदा आधारित है, से 10 प्रतिशत से अधिक कम **(Below)** आने पर 10 प्रतिशत राशि को छोड़ते हुए शेष राशि की बैंक गारण्टी/डी0डी0 विभाग में कार्यादेश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी। जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जावेगी।
7. निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदको/फर्मो को सूचित किया जाता है, कि निविदा में सम्मिलित होने से पूर्व, यह सुनिश्चित करले की वे निविदा के अनुरूप उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत है या नही उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत नही पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने/निविदा निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त करने का प्रावधान नगर विकास न्यास, कोटा में निहित रहेगा।
8. उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।

अधिशाषी अभियंता,
नगर विकास न्यास, कोटा